न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2019RAAJodhpur075RLR019 Laluram Vs State of Rajasthan etc

लालूराम पुत्र उरजाराम जाट
निवासी सारणनगर, तहसील ओसियां
जिला जोधपुर (राज.)

----- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ओसियां, जिला जोधपुर
2. उपखण्ड अधिकारी, ओसियां, जिला जोधपुर
3. प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सारणों की ढाणी, ग्राम सारणनगर, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी ओसिया दिनांक 12 फरवरी 2019

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री रोशनलाल विश्नोई, अधिवक्ता अपीलाण्ट्स
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1 से 3

नि र्ण य

दिनांक : 31 अक्तू., 2019

अपीलाण्ट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवण्टन) नियम, 1963 के तहत पारित आदेश कमांक राजस्व/2019/429 दिनांक 12 फरवरी 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अदालत हाजा में दिनांक 09 अक्तूबर 2019 को प्रस्तुत की है।

अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

एक अन्य प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र अन्तर्गत धारा 96 सिविल प्रकिया संहिता प्रस्तुत कर स्वयं को वादग्रस्त आराजी में हितबद्ध व्यक्ति होना तथा अपीलाधीन आदेश से प्रतिकूलरूपेण प्रभावित पक्ष होना जाहिर करते हुए अपीलाधीन आदेश के खिलाफ अपील पेश करने की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने अपील-मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये ग्राम सारणनगर तहसील ओसियां के खसरा संख्या 715/1 रकबा 6 बीघा राजकीय भूमि में से 2 बीघा भूमि राजकीय प्राथमिक विघालय सारणों की ढाणी हेतु राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवण्टन) नियम, 1963 आवण्टित की गयी है। उक्त नियमों के तहत प्राथमिक विघालय हेतु 5 बीघा तक भूमि का आवण्टन किये जाने के प्रावधान है, और राजकीय प्राथमिक विघालय सारणों की ढाणी वर्तमान में करीब 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि पर स्कूल भवन निर्मित है तथा करीब 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि पर खेल मैदान की चारदीवारी बनी हुई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मात्र 2 बीघा भूमि का आवण्टन किये जाने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। वर्तमान में उपयोग में आ रही भूमि से कम भूमि का आवण्टन किये जाने के कारण स्कूल के छात्रों एवं ग्रामवासियों के लिए खेल मैदान की स्थिति परिवर्तित हो जाती है। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने यह भी जाहिर किया कि विद्यालय भवन एवं खेल मैदान की चारदीवारी आदि का निर्माण कार्य भिन्न-भिन्न समय पर बजट जारी होकर हुआ है, खेल मैदान के अंदर से ही स्कूल जाने का रास्ता है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने कथन किया कि अपीलाण्ट ग्राम सारणनगर का निवासी है और ग्राम में जनहित के कार्यो में उसका हित निहित है, अतः जनहित के विरुद्ध हो रहे कार्यो को रुकवाने के लिए उसे चाराजोई करने का अधिकार है, इसलिए सिविल प्रकिया संहिता की धारा 96 के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावे। इसी प्रकार भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के पूर्व ग्रामवासियों को सूचित नहीं किया गया था, इस कारण अपीलाण्ट को भी अपीलाधीन आदेश की समुचित समय में कोई जानकारी नहीं हुई। दिनांक 20 मई 2019 को जब रेस्पो. मौके पर आकर स्कूल की खेल भूमि को आबादी प्रयोजनार्थ काम में लेने बाबत प्रस्ताव लेने लगे तो अपीलाण्ट द्वारा जाकर पता किया गया एवं अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त करने की कार्यवाही की, नकल दिनांक 27 जून 2019 को प्राप्त हुई, तब अपीलाण्ट ने ग्रामवासी बाबूराम को अपील पेश करने हेतु नियुक्त किया, मगर बाबूराम द्वारा मिलावट कर अपील को जरिये विदड[a]वल खारिज करने हेतु प्रार्थनापत्र पेश करने की धमकी दी, तब अपीलाण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

ने आवश्यक कार्यवाही कर यह अपील प्रस्तुत की है, जो मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे।

जबाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवण्टन) नियम, 1963 के तहत प्राथमिक विघालय के लिए भूमि आवण्टन की अधिकतम् सीमा 5 बीघा है, किन्तु 5 बीघा ही आवण्टित की जावे, यह अनिवार्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने स्वविवेक और मामले तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आलौच्य मामले में अपीलाधीन आदेश के जरिये स्कूल हेतु भूमि का आवण्टन किया है। इस संबंध में अब अपीलाण्ट को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावें।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

विद्वान उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा अपीलाधीन आदेश राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवण्टन) नियम, 1963 के तहत किया गया है। उक्त ***नियम, 1963 के नियम 2(a) के अनुसार प्राथमिक स्कूलों/राजीव गांधी पाठशालाओं के लिए भूमि आवण्टन का अधिकतम रकबा 2***

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

एकड अर्थात 5 बीघा भूमि (छात्रावास भवन, खेल-मैदान सहित) है तथा नियम 4 के अनुसार उपखण्ड अधिकारी आवण्टन हेतु सक्षम अधिकारी है। इससे अधिक भूमि आवण्टन करने हेतु नियम 4 के परन्तुक के अनुसार राज्य सरकार ही सक्षम है।

आलौच्य प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी ओसिया द्वारा राजकीय प्राथमिक विघालय सारणनगर के पक्ष में खसरा संख्या 715/1 में से किये गये 2 बीघा भूमि के आवण्टन से संबंधित पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि --

1. खसरा संख्या 715/1 वाके मौजा सारणनगर का कुल रकबा 6 बीघा है।
2. राजकीय प्राथमिक विघालय सारणों की ढाणी सारण नगर के लिए प्रस्तावित स्थान पर विघालय भवन एवं खेल-मैदान की चारदीवारी बनी हुई है।
3. मौका रिपोर्ट दिनांक 10 मई 2017 के अनुसार मौके पर 2 बीघा भूमि पर विघालय भवन निर्मित है तथा खेल मैदान की चारदीवारी बनी हुई हे। प्रस्तावित भूमि पर किसी प्रकार का वाद/स्थगन आदेश नहीं है। प्रस्तावित भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि / कमाण्ड क्षेत्र की भूमि नहीं है।

इन दस्तावेजात से पाया जाता है कि किया गया आवण्टन तकनीकी दृष्टिकोण से सही है, मगर अपील-मीमों के साथ अपीलाण्ट की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजात की छायाप्रतियॉ प्रस्तुत की गयी है, उनका अवलोकन एवं विवेचन करने पर वस्तुस्थिति यह बनती है कि -

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

1. मौका फर्द दिनांक 02 सितम्बर 2017 जिसमें साफ वर्णित है कि मौके पर 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि पर विद्यालय भवन निर्मित है और 2 बीघा 11 बिस्वा पर खेल मैदान की चारदीवारी बनी हुई है। शेष 15 बिस्वा भूमि स्कूल चारदीवारी के उत्तर की तरफ है।

   अर्थात विद्यालय का मुख्य भवन एवं खेल मैदान का सम्मिलित क्षेत्रफल 5 बीघा 5 बिस्वा होता है, ऐसी स्थिति में स्कूल के लिए मात्र 2 बीघा भूमि आवण्टित किया जाना किसी भी दृष्टि से न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं कहा जा सकता है।

2. ग्राम पंचायत सामराउ पंचायत समिति ओसिया द्वारा वित्तीय स्वीकृति संख्या 02/2008-09 दिनांक 16 अगस्त 2008 प्रसाशनिक स्वीकृति संख्या 02/2008-09 दिनांक 16 अगस्त 2008 के कम में नवीन कार्य "खेल मैदान की चारदीवारी" निर्माण हेतु जारी की है, जो निश्चय ही अपीलाधीन आदेश के पूर्व में जारी की गयी है।
3. उक्त वित्तीय स्वीकृति पेटे स्वीकृत राशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र की छायाप्रति भी अपीलमीमो के साथ पेश ही गयी है।
4. इसी प्रकार कार्यपूर्णता प्रमाणपत्र की छायाप्रति भी अदालत हाजा के समक्ष पेश की गयी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि स्कूल के खेल मैदान की चारदीवारी के निर्माण का कार्य दिनांक 31 अक्तूबर 2008 तक पूर्ण हो चुका था।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

5. ग्राम पंचायत द्वारा विघालय के खेल मैदान में किये जा रहे अतिकमण को रोकने हेतु प्रधानाचार्य, शहीद मुन्नाराम रा. उ.प्रा. वि. जाखडो की ढाणी, सारणनगर द्वारा सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी सारणनगर को लिखे गये पत्र कमांक रा. उ.मा.वि./जा.ढा./639-644 दिनांक 25 जून 2019
6. शिविर प्रभारी, ग्राम पंचायत सारणनगर, प.स. ओसिया को रा.प्रा.वि. सारणों की ढाणी सारणनगर के खेल मैदान प्रोजेक्ट के तहत खेल मैदान समतलीकरण, मैदान निर्माण व पौधारोपण आदि हेतु भूमि आवण्टन हेतु लिखा गया पत्र दिनांक 21 अक्तूबर 2016
7. जमाबंदी गांव सामराउ तहसील ओसियां संवत 2071-2074 खसरा संख्या 715/1 रकबा 6 बीघा बारानी चारम जिसके विशेष विवरण के कॉलम में उक्त खसरा के संबंध में नोट लिखा है "म्युटेशन संख्या 119/आवण्टन आदेश 01-3-14 के द्वारा खसरा नम्बर 715/1 रकबा 2 बीघा गैरमुमकिन स्कूल रा.प्रा.वि. सारणों की ढाणी सारणनगर (शिक्षा विभाग)"

इन प्रस्तुत छाया-प्रतियों एवं इनके संबंध में किये गये विवेचन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि मौके पर राजकीय प्राथमिक विघालय सारणों की ढाणी सारणनगर का मुख्य विघालय भवन 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि पर तथा खेल मैदान की चारदीवारी 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि पर यानि खेल मैदान सहित विघालय भवन 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर बना हुआ है और राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवण्टन)

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नियम, 1963 के तहत प्राथमिक विद्यालय के लिए भूमि आवण्टन की अधिकतम् सीमा 5 बीघा है, किन्तु अपीलाधीन आदेश के जरिये उपखण्ड अधिकारी द्वारा मात्र 2 बीघा भूमि का आवण्टन ही प्राथमिक विद्यालय के पक्ष में किया गया है। उल्लेखनीय है कि जो भी निर्माण कार्य प्राथमिक विद्यालय द्वारा किया गया है, वह सक्षम स्वीकृति और राजकीय वित्त से किया गया है। ऐसी स्थिति में यदि विद्यालय के पक्ष में समुचित भूमि का आवण्टन नहीं किया जाता है तो एक गम्भीर असामंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी कि क्या सार्वजनिक हित में राजकीय वित से किये गये निर्माण कार्य बतौर अतिक्रमण कायम रहेंगे अथवा विधिवत आवण्टन के अभाव में इन निर्माण कार्यो पर व्यय किया गया राजकीय धन व्यर्थ जायेगा और छात्रों के सर्वांगीण विकास में स्थायी बाधा आ जायेगी।

इसी बिन्दु को ध्यान में रखते हुए अपीलाण्ट, जो कि ग्राम सारणनगर का ही निवासी है, ग्राम के सार्वजनिक हितों से सम्बद्ध व्यक्ति होने के कारण स्वभाविक तौर पर ऐसे सार्वजनिक हित के मामले में अपील करने का पात्र पाया जाता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। साथ ही, चूंकि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था, सो अपीलाधीन आदेश की समुचित समय में जानकारी नहीं होने बाबत उसके मियाद प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में वर्णित कथन पर विश्वास करते हुए प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियादशुमार की जाती हैं।

उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार पर अपील अपीलाण्ट गुणावगुण पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विद्वान उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12 फरवरी 2019 यथावत रखते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय (सक्षम आवण्टन प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी ओसियां) को रिमाण्ड किया जाता है कि वह राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ ***अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवण्टन) नियम, 1963 के नियम 2(क) के अन्तर्गत निर्धारित प्राथमिक विद्यालय के लिए भूमि आवण्टन की अधिकतम् सीमा 5 बीघा*** एवं इस मामले में राजकीय प्राथमिक विद्यालय सारणों की ढाणी सारणनगर के खेल मैदान सहित विद्यालय भवन के लिए उपयोग में आये रकबे और उसके लिए पूर्व में किये गये आवण्टन आदि सभी तथ्यों का परीक्षण करते हुए मामले की परिस्थितियों, संबंधित नियमों तथा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त जारी परिपत्रों आदि को ध्यान में रखते हुए विधिसम्मतः अतिरिक्त रकबा आवण्टन बाबत समुचित आदेश पारित करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 21/X/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर